

[2024] 2 एस.सी.आर. 111: 2024 आईएनएससी 82

भग्गी @ भागीरथ @ नारन

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य

[विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) 2888/2023]

05 फरवरी 2024

[न्यायमूर्ति श्री सी.टी. रविकुमार एवं न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल]

विचारणीय बिंदु

भारतीय दंड संहिता की धारा 376कख के अंतर्गत दोषसिद्धि में पारित मृत्युदंड की पुष्टि नहीं की गई थी और इसे आजीवन कारावास, जिसका आशय इसके पश्चात उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार दोषसिद्ध के शेष प्राकृतिक जीवन तक का कारावास से है, में लघुकृत कर दिया गया था। एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या मृत्युदंड के आजीवन कारावास में लघुकरण में आगे और हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

शीर्ष टिप्पणियाँ

दंड / दंडादेश - दंड में संशोधन - आरोप है कि याचिकाकर्ता-दोषसिद्ध 7 वर्षीय लड़की को मंदिर में ले गया और उसके साथ बलात्संग किया - विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता को धारा 376कख के अंतर्गत दोषसिद्ध किया - यद्यपि याचिकाकर्ता को धारा 376 (2)(i) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4, धारा 5 (घ)/6 के अंतर्गत भी दोषसिद्ध किया गया था परन्तु धारा 376कख के अंतर्गत उसकी दोषसिद्धि को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त कथित अपराधों के लिए कोई पृथक दंड नहीं दिया गया था - उच्च न्यायालय ने इसे आजीवन कारावास में लघुकृत कर दिया - उपयुक्तता :

अवधारित: साक्ष्य से ज्ञात होता है कि उस स्थान की पवित्रता को ध्यान में रखे बिना याचिकाकर्ता ने पीड़ित और स्वयं को निर्वस्त्र किया और उसके साथ बलात्संग किया। जब याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा कृत्य किया गया था उस समय वह 40 वर्ष का था और एक्स उस समय केवल 7 वर्ष की थी और साक्ष्य यह है कि जब अभियोजन साक्षी-2 और अभियोजन साक्षी-14 घटनास्थल पर पहुंचे, तो निर्वस्त्र बच्ची के गुप्तांगों से खून बहता हुआ पाया गया था। उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड का आजीवन कारावास, जिसका धारा 376कख, भा.दं.सं. के प्रावधानों के अनुसार अर्थ दोषसिद्ध के शेष प्राकृतिक जीवन से है, में लघुकरण करते समय गंभीर और गंभीरता कम करने वाली परिस्थितियों पर सही ढंग से विचार किया था। इस तरह के लघुकरण को प्रभावी करने के लिए, उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर भी विचार किया कि क्या याचिकाकर्ता के सुधार और पुनर्वास की संभावना है और यह राय दी कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें वैकल्पिक दंड मामले के तथ्यों में पर्याप्त नहीं होगी। लेकिन फिर, यह ध्यान देने योग्य है कि अगर पीड़िता धार्मिक है तो किसी भी

मंदिर में जाने से उसे उस दुर्भाग्यपूर्ण, बर्बर कृत्य की याद आ सकती है जो उसके साथ घटित हुआ था। इसी तरह, यह घटना उसे परेशान कर सकती है और उसके भावी विवाहित जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। - ऐसे सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, 30 वर्ष के कारावास की निश्चित अवधि, जिसमें पूर्व में भोगी गई अवधि भी शामिल होगी, कारावास का संशोधित दंड होना चाहिए - दोषी को जुर्माने का दंड भी भोगना होगा जो पीड़िता के चिकित्सा व्यय और पुनर्वास को पूरा करने के लिए उचित और युक्तियुक्त होगा, जिसकी मात्रा एक लाख रुपये है और इसे पीड़िता को धारा 363, भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्धि के संबंध में भुगतान किया जाएगा। [पैरा 15, 16, 17]

उद्धृत न्यायदृष्टांत

यूनियन ऑफ इंडिया बनाम वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन और अन्य, [\[2015\] 14 एससीआर 613](#) : (2016) 7 एससीसी 1 – अनुसरित।

मुल्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [\[2010\] 2 एससीआर 633](#) : (2010) 3 एससीसी 508; शिव कुमार @ शिव @ शिवमूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य, [\[2023\] 4 एससीआर 669](#) : (2023) 9 एससीसी 817 – आधारित।

बंटू उर्फ नरेश गिरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, [\[2001\] 4 अनुपूरक एससीआर 298](#) : (2001) 9 एससीसी 615; अमृत सिंह बनाम पंजाब राज्य, [\[2006\] 8 अनुपूरक एससीआर 889](#) : (2006) 12 एससीसी 79; रमेशभाई चंदूभाई राठौड़ (2) बनाम गुजरात राज्य, [\[2011\] 1 एससीआर 829](#) : (2011) 2 एससीसी 764; स्वामी श्रद्धानंद (2) उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा बनाम कर्नाटक राज्य, [\[2008\] 11 एससीआर 93](#) : (2008) 13 एससीसी 767 - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

कीवर्ड की सूची

दंड; दंडादेश; दंड में संशोधन; दंड की निश्चित अवधि; मृत्युदंड; मृत्युदंड का आजीवन कारावास में लघुकरण; नाबालिग से बलात्संग; जुर्माना; चिकित्सा व्यय और पीड़ित का पुनर्वास।

भग्गी @ भागीरथ @ नारन विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य

किससे उद्भूत मामला

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता : विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक)- क्रमांक 2888 / 2023

2018 के सीआरए क्रमांक 5725 में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर के द्वारा दिनांक 11.10.2018 को दिए गए निर्णय और आदेश से

पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण

अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्तागण- श्रीमति के. शारदा देवी, आर. विजय नंदन रेड्डी, वी. कृष्णा स्वरुप।

प्रत्यर्थियों की ओर से अधिवक्तागण- श्रीमती अंकिता चौधरी, एएजी, सुश्री मृणाल गोपाल एल्कर, अभिमन्यु सिंह- जी.ए., अभिजीत पांडव।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय / आदेश

आदेश

1. याचिकाकर्ता-दोषसिद्ध ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के आपराधिक अपील संख्या 5725/2018 में पारित निर्णय दिनांक 11.10.2018 को चुनौती दी है।
2. वास्तव में, यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (दं.प्र.सं.) की धारा 366 के अंतर्गत विचारण न्यायालय द्वारा 2018 के अधिनियम संख्या 22 द्वारा यथा संशोधित धारा 376कख भारतीय दंड संहिता, 1860 (भा.दं.सं.) के अंतर्गत दोषसिद्धि की पुष्टि के लिए प्रस्तुत आपराधिक निर्देश संख्या 6/2018 में और दोषसिद्धि से पीड़ित याचिकाकर्ता-दोषसिद्ध द्वारा दायर आपराधिक अपील संख्या 5725/ 2018 में और भारतीय दंड संहिता के कुछ अन्य अपराधों में उसके विरुद्ध पारित दंड के सम्बन्ध में और उसके विरुद्ध लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षिप्त में 'पॉक्सो एक्ट') में दोषसिद्धि के सम्बन्ध में एक सामान्य निर्णय है। आक्षेपित निर्णय के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 376कख के अंतर्गत दोषसिद्धि में पारित मृत्युदंड की पुष्टि नहीं की गई थी और इसे आजीवन कारावास, जिसका आशय इसके पश्चात उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार दोषसिद्ध के शेष प्राकृतिक जीवन तक का कारावास से है, में लघुकृत कर दिया गया था।
3. याचिकाकर्ता-दोषसिद्ध की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और मध्य प्रदेश राज्य के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता को सुना गया।

4. प्रस्तुत मामले में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विलम्ब को क्षमा करने के पश्चात केवल दंड के प्रश्न पर सीमित सूचना दिनांक 24.02.2023 को जारी की गयी थी। चूँकि अपीलीय क्षेत्र को विस्तारित करने का कोई कारण प्रतीत नहीं हो रहा है, अतः पक्षकार द्वारा अपने तर्कों को केवल अनुज्ञेय क्षेत्र तक ही सीमित रखा जाए।
5. हमारा सुविचारित विचार है कि उपरोक्त प्रश्न पर विचार करने के लिए मामले के तथ्यों को संक्षेप में संदर्भित करना उचित है। दिनांक 21.05.2018 को पीड़िता की दादी शिकायतकर्ता मुन्नी बाई (अ.सा.- 8) ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 7 वर्ष की पोती एक्स, जिसका परीक्षण अ.सा. -1 के रूप में किया गया, का याचिकाकर्ता-दोषसिद्ध द्वारा व्यपहरण और बलात्संग किया गया था। विचारण पश्चात विचारण न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने के लिए गंभीर सबूत प्रस्तुत करने में सफल रहा कि 7 साल की पीड़िता को याचिकाकर्ता-दोषसिद्ध राजाराम बाबा ठाकुर मंदिर ले गया और वहां उसे और स्वयं को निर्वस्त्र कर बलात्संग किया। उसके चिल्लाने पर दोषसिद्ध के गांव के ही अभियोजन पक्ष के गवाह वहां पहुंचे तो उन्होंने दोषी को पीड़िता के ऊपर लेटे हुए और उसके साथ दुर्व्यवहार करते हुए और उन्हें देखते ही वहां से भागते हुए देखा। अभियोजन पक्ष के गवाहों (अ.सा.- 1, 2 और 14) की मौखिक गवाही, चिकित्सीय साक्ष्य से विश्वसनीयता प्राप्त कर दोषसिद्ध की दोषिता की ओर त्रुटिहीन रूप से अनुमान इंगित करती है। हालाँकि याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(i) और पाँक्सो अधिनियम की धारा 3, 4, धारा 5 (घ) और 6 के अंतर्गत भी दोषी ठहराया गया था परन्तु भारतीय दंड संहिता की धारा 376कख के अंतर्गत उसकी दोषसिद्धि को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त अपराधों के लिए कोई अलग दंड नहीं दिया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 376कख के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए दिए गए मृत्युदंड की सजा को कम करने के सम्बन्ध में यदि हम 2018 के अधिनियम संख्या 22 के अंतर्गत संशोधित भारतीय दंड संहिता की धारा 376कख के अंतर्गत अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा में हस्तक्षेप करते हैं तो यह भी विचार करने योग्य तथ्य है कि याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(i) और पाँक्सो अधिनियम की धारा 3, 4, धारा 5 (घ) और 6 के अंतर्गत भी दोषी ठहराया गया था परन्तु भारतीय दंड संहिता की धारा 376कख के अंतर्गत उसकी दोषसिद्धि को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त अपराधों के लिए कोई अलग दंड नहीं दिया गया था।
6. जैसा कि इसके पूर्व देखा गया है कि अभिलेख में उपस्थित साक्ष्यों का परिशीलन करने पर और इस निष्कर्ष पर पहुँचने पर कि याचिकाकर्ता का दोष भारतीय दंड संहिता की धारा 376कख के अंतर्गत निर्णायक रूप से सिद्ध हो चुका है परन्तु भारतीय दंड संहिता की धारा 376कख के अंतर्गत दोषसिद्धि में उसके ऊपर आरोपित मृत्यु दंड की पुष्टि करते समय ही लगाई गई सज़ा को कम किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने इसे आजीवन कारावास में कम कर दिया यद्यपि एक अन्य वैकल्पिक दंड, जुर्माने के साथ कम से कम 20 वर्ष की कठोर कारावास का दंड आरोपित करना भी संभव था।
7. इस न्यायालय ने [मुल्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य](#)¹ के निर्णय में अभिनिर्धारित किया:-

“85.....दंडादेश देने वाला न्यायालय कारावास की अवधि निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। यह उन मामलों में विशेष रूप से सत्य है जहां मृत्युदंड को आजीवन कारावास से परिवर्तित कर दिया गया है...”

8. निस्संदेह ही उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड का आजीवन कारावास में लघुकरण करते समय मुल्ला के मामले (सुप्रा) में निर्णय और निर्णयों की एक शृंखला जहां मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था, जिसमें बंटू उर्फ नरेश गिरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य², अमृत सिंह बनाम पंजाब राज्य³ और रमेशभाई चंदूभाई राठौड़ (2) बनाम गुजरात राज्य⁴ के फैसले भी शामिल थे, पर विचार किया था। उन सभी निर्णयों का अवलोकन करने से पता चलता है कि वे 4 से 12 वर्ष की उम्र की बालिकाओं के बलात्संग और हत्या से जुड़े मामले हैं। यह सत्य है कि उन निर्णयों का उल्लेख करने के पश्चात, उच्च न्यायालय ने प्रस्तुत मामले में आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ 34 में अभिनिर्धारित किया: -

"इस मामले में कथित अपराध के किये जाने का तरीका एक महत्वपूर्ण विचारणीय तथ्य है। डॉ. सरोज भूरिया (अ.सा.-3) का साक्ष्य सुसंगत है। उन्होंने कहा है कि अभियोक्ति के शरीर पर, विशेषकर उसकी गर्दन, गाल, छाती, पेट और जांघ पर कोई बाहरी चोट नहीं थी। उन्हें अभियोक्ति के जननांग के बाहरी भाग पर भी कोई चोट नहीं मिली। उन्होंने पाया कि हाल ही में हाइमन फट गया था और रक्तस्राव हो रहा था। चोट साधारण प्रकृति की थी। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा संभवतः किसी कठोर और कुंद वस्तु के कारण भी हो सकता है। साक्ष्यों से यह स्थापित हो गया है कि अभियुक्त ने एक अवयस्क बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। तथापि शरीर के अन्य भागों और प्राइवेट पार्ट पर भी कोई चोट नहीं आई है। इस प्रकार जिस तरह से अपराध कारित किया गया है वह बर्बर और नृशंस नहीं है। हमने अभिलेख पर उपस्थित तथ्यों और साक्ष्यों पर गंभीरता से विचार किया है और पाया है कि यद्यपि अपराध निंदनीय, घृणित, वीभत्स और हिंसा का निंदनीय कृत्य है, लेकिन यह अत्यधिक गंभीर परिस्थितियों अर्थात् अत्यधिक दुष्टता और अपराध के बर्बर तरीके के अंतर्गत नहीं आता है। अपराध के तथ्यों, प्रकृति, मकसद और अपराध के तरीके की समग्रता को ध्यान में रखते हुए और यह भी कि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी के कोई आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अभिलेख पर कुछ भी नहीं लाया गया है और उसके पुनर्वास और सुधार की संभावना से इंकार भी नहीं किया गया है। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चले कि वह समाज के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। हमारी सुविचारित राय में यह कहना उचित नहीं है कि वैकल्पिक सज़ा मामले के तथ्यों के लिए पर्याप्त नहीं होगी।"

9. अब हम विरोधी तर्कों की ओर अग्रसर होते हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क यह है कि अपराध के समय याचिकाकर्ता की आयु केवल 40 वर्ष थी। जिस तरीके से कथित अपराध किया गया था उस पर ध्यान देने के बाद उच्च न्यायालय ने कहा कि यह बर्बर और क्रूर नहीं था और इसके अलावा दोषी के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में रिकॉर्ड पर कुछ भी न होने के कारण यह सुझाव दिया गया कि

उसके पुनर्वास और सुधार के अवसरों की संभावना को नकारा नहीं जा सकता और उनकी राय थी कि मामला ऐसा नहीं है जहां वैकल्पिक सज़ा पर्याप्त नहीं होगी। धारा 376कख, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दिया गया वैकल्पिक दंड, अर्थात्, केवल कम से कम 20 वर्ष के कठिन कारावास का दंड और जुर्माना, धारा 376कख, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए आजीवन कारावास में परिवर्तन के बाद लगाया जा सकता है और इसके लिए ऊपर उल्लिखित अन्य अपराधों के अंतर्गत दोषसिद्धि में कोई अन्य दंड नहीं दिया जाएगा। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार न्यूनतम जुर्माने के साथ 20 वर्ष का कठिन कारावास ही दंड होगा। इसके विपरीत प्रत्यर्थी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत करेंगे कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में मृत्युदंड को किस सीमा तक लघुकृत किया जा सकता है, इस प्रश्न पर उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में उल्लिखित निर्णयों के संदर्भ में इस मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों पर विस्तार से विचार किया जायेगा और याचिकाकर्ता द्वारा उसे दिए गए दंड की मात्रा के हस्तक्षेप में कोई मामला नहीं बनाया जायेगा।

10. हमने संबंधित अपराध के कारित करने के तरीके का उल्लेख करने के पश्चात की गई उच्च न्यायालय की टिप्पणी पर ध्यान दिया है कि यह बर्बर और क्रूर नहीं था। हमारा सुविचारित विचार है कि जब 'बर्बर' और 'क्रूर' शब्दों का एक साथ उपयोग किया जाता है तो वे पर्यायवाची प्रकृति के नहीं होते हैं, बल्कि विशिष्ट अर्थ ग्रहण करते हैं। याचिकाकर्ता-दोषसिद्ध द्वारा जिस तरीके से अपराध किया गया था, उसे ध्यान में रखते हुए जैसा कि उपरोक्त उद्धरण के अंतर्गत उच्च न्यायालय ने पाया, हमारे अनुसार यह कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता-दोषसिद्ध का कार्य बर्बर है, यद्यपि उसने क्रूर तरीके से काम नहीं किया था। 'बर्बर' और 'क्रूर' शब्दों के विशिष्ट अर्थ जानने के लिए हम 'बर्बर', 'दरिंदा' और 'क्रूर' शब्दों के अर्थ लेंगे। न्यू इंटरनेशनल वेबस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, इनसाइक्लोपीडिया संस्करण के अनुसार उनके निम्नलिखित अर्थ हैं:

'बर्बर' (विशेषण):

1. बर्बरों का या उसका लक्षण।
2. जंगली; असभ्य; अशिष्ट

'दरिंदा' (संज्ञा):

1. जिसकी संस्कृति की स्थिति बर्बरता और सभ्यता के बीच में हो;
2. कोई असभ्य, क्रूर या असंस्कृत व्यक्ति।

'क्रूर' (विशेषण):

जानवर या उसके समान की विशेषता; निर्दयी; असभ्य।

उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय के अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों और उपरोक्त पैराग्राफ 34 में सही ढंग से नोट किए गए साक्ष्य के आलोक में यह कहना सही हो सकता है कि याचिकाकर्ता-दोषसिद्ध ने क्रूरतापूर्वक बलात्संग का अपराध किया था, लेकिन फिर निश्चित रूप से उसका कार्य बर्बर था। प्रस्तुत मामले में याचिकाकर्ता-दोषसिद्ध की उम्र घटना की तारीख को 40 वर्ष थी और पीड़िता तब केवल 7 वर्ष की एक लड़की थी। इस प्रकार स्थिति यह है कि उसने अपनी हवस मिटाने के लिए 7 साल की बच्ची का इस्तेमाल किया। इसके लिए याचिकाकर्ता-दोषसिद्ध पीड़िता को एक मंदिर में ले गया जहाँ जगह की पवित्रता का ध्यान न रखते हुए उसके और स्वयं के कपड़े उतारकर और फिर अपराध किया। हमें यह तथ्य मानने में कोई झिझक नहीं है कि यद्यपि उसने इसे क्रूरतापूर्वक नहीं किया है परन्तु इससे उसका कार्य बर्बरता-हीन नहीं हो जाएगा।

11. इस मामले की परिस्थितियों में भारतीय दंड संहिता की धारा 376कख के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए प्रतिरोधात्मक दंड की आवश्यकता के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता। एकमात्र सवाल यह है कि क्या मृत्युदंड के आजीवन कारावास में लघुकरण के पश्चात और हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इस स्थिति के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376कख के अंतर्गत दोषसिद्धि पर आरोपित दंड के उक्त लघुकरण करने पर अन्य विकल्प के रूप में केवल कम से कम 20 वर्ष का कारावास और जुर्माना उपलब्ध है। यह स्थिति भारतीय दंड संहिता की धारा 376कख के अंतर्गत प्रावधान से स्पष्ट है जो इस प्रकार है: -

“376कख बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग के लिए दंड- जो कोई बारह वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत है, और जुर्माने से, अथवा मृत्युदंड से दण्डित किया जायेगा:

परन्तु ऐसा जुर्माना पीड़ित के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जायेगा।”

12. इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 376कख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इसके अंतर्गत आजीवन कारावास से आशय दोषसिद्ध के शेष प्राकृत जीवन के लिए कारावास है और धारा के अंतर्गत कारावास की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष है। अब इस प्रश्न पर विचार करते समय कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 376कख के अंतर्गत अपराध की दोषसिद्धि में दिए गए दंड में आगे हस्तक्षेप आवश्यक है, इसके लिए [शिव कुमार @ शिव @ शिवमूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य](#)⁵ के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना उचित है। [शिव कुमार के मामले](#) (सुप्रा) में इस न्यायालय ने [भारत संघ बनाम बी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन और अन्य](#)⁶ में इस न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निर्णय और [स्वामी श्रद्धानंद \(2\) उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा बनाम कर्नाटक राज्य](#)⁷ मामले में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख किया है। निस्संदेह ही इस न्यायालय ने [बी. श्रीहरन के मामले](#) (सुप्रा) में इस प्रश्न पर विचार किया गया कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 53 सहपठित धारा 45 के संदर्भ में आजीवन कारावास से आशय कैदी के शेष जीवन के कारावास से है या आजीवन कारावास का दंड भुगत रहे एक दोषसिद्ध को दंड के परिहार का दावा करने का अधिकार है और [स्वामी श्रद्धानंद \(2\)](#) (सुप्रा) के निर्णय का सन्दर्भ देते हुए अभिनिर्धारित किया कि दंड के संशोधन की दंड संहिता से प्राप्त शक्ति का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए किसी विशिष्ट अपराध के लिए दंड संहिता में उपबंधित किये गए दंड के अंतर्गत केवल उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है और पश्चात में अपील की स्थिति में केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा उक्त निर्णय के पैराग्राफ 105 में यह अभिनिर्धारित किया गया था: - “इसे अलग तरीके से कहें तो मृत्युदंड के विकल्प के रूप में किसी विशिष्ट अवधि के कारावास या दोषसिद्ध के शेष प्राकृत जीवन तक के कारावास का संशोधित दंड देने की शक्ति का प्रयोग केवल उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है, किसी अन्य अवर न्यायालय द्वारा

नहीं।" शिव कुमार के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय ने वी. श्रीहरन के मामले (सुप्रा) के पैराग्राफ 104 में संवैधानिक पीठ द्वारा कही गई बातों पर भी विचार किया, जो इस प्रकार है: -

“104. इसके अतिरिक्त ऐसे अधिकांश मामलों में जहां मृत्युदंड या आजीवन कारावास विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया दंड है और उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पुष्टि की गई है वहां संबंधित दोषसिद्ध को इसके पश्चात इस न्यायालय को विशेष अनुमति के माध्यम से अपील दायर करके ऐसे फैसले का परीक्षण करने का अवसर मिलेगा। पर्याप्त सावधानी के साथ तथा संहिता और अपराधिक न्यायशास्त्र के विहित कानून के अनुसार, हम यह कह सकते हैं कि ऐसे विनिर्दिष्ट गंभीर अपराधों में प्रारंभिक दोष पाए जाने पर और मृत्युदंड या आजीवन कारावास का दंड सुनाये जाने पर, जब मामला उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच की जांच के दायरे में आता है, तो केवल उच्च न्यायालय, जो मृत्युदंड और वैकल्पिक दंड निर्धारित करती है, को दंड संहिता के अंतर्गत उक्त दंड को या तो दोषी के पूरे जीवन के लिए या 14 वर्षों से अधिक की किसी विशिष्ट अवधि के लिए, उदाहरणार्थ 20 वर्ष, 30 वर्ष और अन्य में भी परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त होती है जो की किए गए अपराध की गंभीरता और ऐसे अपराध के लिए न्यायिक विवेक के प्रयोग के आधार साबित पाए गए अपराधों में होती है।”

13. शिव कुमार मामले में दिए गए निर्णयों से सुसंगत पैराग्राफों का संदर्भ लेने के पश्चात इस न्यायालय ने इस प्रकार अवधारित किया:

“13. इसलिए, हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ऐसे मामले में भी जहां मृत्युदंड नहीं लगाया गया है या प्रस्तावित नहीं है, संवैधानिक न्यायालय हमेशा संशोधित या निश्चित अवधि का दंड अधिरोपित करने की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, यह निर्देश देकर कि भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में “दूसरे” द्वारा परिकल्पित आजीवन कारावास की सजा चौदह वर्ष से अधिक की निश्चित अवधि की होगी, उदाहरण के लिए, बीस वर्ष, तीस वर्ष और इसी तरह अन्य। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433क के आज्ञापक प्रावधान को ध्यान में रखते हुए नियत दंड 14 वर्ष से कम अवधि के लिए नहीं हो सकती है।”

14. संदर्भित निर्णयों (सुप्रा) पर विचार करते हुए और इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि जब एक बार धारा 376कख, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धि कायम हो जाती है तो नियत अवधि का दंड 20 वर्ष से कम की अवधि के लिए नहीं हो सकता। स्पष्ट रूप से, उच्च न्यायालय ने, आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ 33 में, उन निर्णयों का संदर्भ दिया था, जिनमें नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्संग और हत्या की गई थी, लेकिन इस बात पर स्पष्ट रूप से विचार नहीं किया कि क्या धारा 376कख, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 7 वर्ष की आयु की पीड़िता के साथ बलात्संग, जिसमें हत्या शामिल नहीं है, के मामले में मृत्युदंड की सजा को कम करने का निर्णय लेने के पश्चात उसका क्या परिणाम होगा।

15. हमने याचिकाकर्ता-दोषसिद्ध द्वारा मंदिर ले जाए जाने के पश्चात पीड़िता की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया है। साक्ष्य से ज्ञात होता है कि उस स्थान की पवित्रता को ध्यान में रखे बिना याचिकाकर्ता ने पीड़ित और स्वयं को निर्वस्त्र किया और उसके साथ बलात्संग किया। जब याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा कृत्य किया गया था उस समय वह 40 वर्ष का था और एक्स उस समय केवल 7 वर्ष की थी और साक्ष्य यह है कि जब अभियोजन साक्षी-2 और अभियोजन साक्षी-14 घटनास्थल पर पहुंचे, तो निर्वस्त्र बच्ची के गुप्तांगों से खून बहता हुआ पाया गया था। उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड का आजीवन कारावास, जिसका धारा 376कख, भा.दं.सं. के प्रावधानों के अनुसार अर्थ दोषसिद्ध के शेष प्राकृतिक जीवन से है, में लघुकरण करते समय गंभीर और गंभीरता कम करने वाली परिस्थितियों पर सही ढंग से विचार किया था। इस तरह के लघुकरण को प्रभावी करने के लिए, उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर भी विचार किया कि क्या याचिकाकर्ता के सुधार और पुनर्वास की संभावना है और यह राय दी कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें वैकल्पिक दंड मामले के तथ्यों में पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन फिर, यह ध्यान देने योग्य है कि अगर पीड़िता धार्मिक है तो किसी भी मंदिर में जाने से उसे उस दुर्भाग्यपूर्ण, बर्बर कृत्य की याद आ सकती है जो उसके साथ घटित हुआ था। इसी तरह, यह घटना उसे परेशान कर सकती है और उसके भावी विवाहित जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
16. फिर, हमें याचिकाकर्ता की वर्तमान आयु और इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वह पहले ही कारावास की सजा भोग चुका है। इन सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात हमारा विचार है कि 30 वर्ष के कारावास की सजा की निश्चित अवधि, जिसमें पहले से ही भोगी गई अवधि शामिल होगी, कारावास की संशोधित सजा होनी चाहिए।
17. हमने पहले ही इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि मृत्युदंड को आजीवन कारावास में लघुकृत करते समय, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नज़रअंदाज़ कर दिया था कि धारा 376 (2)(i) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4, धारा 5 (घ)/6 के अंतर्गत दोषसिद्धि के बावजूद, विचारण न्यायालय द्वारा पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 और 5 (ड)/6 के अंतर्गत अपराध के लिए याचिकाकर्ता पर कोई अलग से दंड आरोपित नहीं किया था, जाहिर है कि केवल धारा 376कख, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध के आधार पर याचिकाकर्ता पर मृत्युदंड लगाया गया है। हालाँकि, यह एक तथ्य है कि उक्त पहलू उच्च न्यायालय के ध्यान से बच गया। इसके अलावा, धारा 376कख, भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार, जब 20 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, की सजा सुनाई जाती है, तो दोषी को जुर्माने की सजा भी भुगतनी होगी, जो पीड़ित के चिकित्सा व्यय और पुनर्वास को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त हो, जिसे हम एक लाख रुपये के रूप में निर्धारित करते हैं और इसे धारा 363 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धि के संबंध में पीड़ित को भुगतान किया जाएगा। उस संबंध में भी, आक्षेपित निर्णय में बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है।
18. आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ 1 के संदर्भ में विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ 35 में आदेश कि धारा 366, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धि और सजा

बरकरार रखी जाती है, धारा 363, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धि और उसके लिए लगाए गए दंड के संबंध में भी हो सकती है।

19. हम उक्त तर्क का पूर्ण समर्थन करते हैं क्योंकि आरोपित निर्णय के पैराग्राफ 1 से ही पता चलता है कि उच्च न्यायालय ने वास्तव में इस तथ्य पर विचार किया था कि याचिकाकर्ता-दोषी को केवल धारा 376कख भारतीय दंड संहिता (संशोधन अधिनियम संख्या 22/2018 द्वारा संशोधित) और धारा 363 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी ठहराया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता-दोषसिद्ध पर लगाई गई सजा और दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है। हमने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि हालांकि याचिकाकर्ता-दोषसिद्ध को पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4 और 5 (ड)/6 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, लेकिन पोक्सो अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत प्रावधान को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता-दोषसिद्ध पर कोई अलग से सजा आरोपित नहीं की गई थी। उक्त प्रावधान इस प्रकार है:-

“42. आनुकल्पिक दंड- जहां किसी कार्य या लोप से इस अधिनियम के अधीन और भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 166क, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 370, धारा 370क, धारा 375, धारा 376, 2[धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, 376घक, 376घख], [376ड, धारा 509 के अधीन या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 67ख के अधीन] भी दंडनीय कोई अपराध गठित होता है वहां, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी उस दंड का भागी होगा, जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दंड संहिता के अधीन मात्रा में गुरुतर है।”

20. चूंकि, धारा 376कख, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत याचिकाकर्ता-दोषसिद्ध की सजा के लिए आरोपित किये गए दंड और उच्च न्यायालय द्वारा सजा के लघुकरण में आरोपित किये गए संशोधित दंड में हस्तक्षेप के बाद भी, हमने याचिकाकर्ता-दोषसिद्ध को एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ 30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, इसलिए पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत उपरोक्त अपराध के लिए याचिकाकर्ता-दोषसिद्ध पर कोई अलग सजा आरोपित नहीं की जानी है। धारा 376कख, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत याचिकाकर्ता-दोषसिद्ध की सजा को बरकरार रखते हुए, इसके अंतर्गत लगाए गए दंड को 30 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा में संशोधित किया जाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इसमें पहले से भोगी गई सजा की अवधि और विचारण न्यायालय द्वारा मुजरा के लिए आदेशित अवधि भी शामिल होगी। धारा 363, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए दिए गए कारावास की सजा समवर्ती रूप से चलेगी। इसके अंतर्गत लगाए गए जुर्माने की राशि हमारे द्वारा लगाए गए जुर्माने यानी एक लाख रुपये में जोड़ी जाएगी।

21. हम आगे निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता-दोषसिद्ध को 30 वर्ष की वास्तविक सजा पूरी होने से पहले जेल से रिहा नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि इसकी गणना के मामले में ऊपर उल्लेखित अवलोकन किया जाए।
22. विशेष अनुमति याचिका को ऊपर वर्णित अनुसार आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

शीर्ष टिप्पणियाँ: अंकित ज्ञान द्वारा

प्रकरण का परिणाम: विशेष अनुमति याचिका आंशिक रूप से स्वीकृत।

- 1 [2010] 2 एससीआर 633; (2010) 3 एससीसी 508
- 2 [2001] 4 अनुपूरक एससीआर 298; (2001) 9 एससीसी 615
- 3 [2006] 8 अनुपूरक एससीआर 889; (2006) 12 एससीसी 79
- 4 [2011] 1 एससीआर 829; (2011) 2 एससीसी 764
- 5 [2023] 4 एससीआर 669; (2023) 9 एससीसी 817
- 6 [2015] 14 एससीआर 613; (2016) 7 एससीसी 1
- 7 [2008] 11 एससीआर 93; (2008) 13 एससीसी 767

आयुष राय द्वारा अनुवादित